प्रेस नोट

सुरक्षित इंटरनेट दिवस-2025(Safer Internet Day)

दिनांक 11.02.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम "सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025" के अवसर पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों व समभ्रांत लोगो को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन प्राइवेसी और डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा देते हुए इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के प्रति किया गया जागरूक-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जिला पंचायत सभागार कक्ष में आयोजित कार्यक्रम "सुरक्षित इंटरनेट दिवस -2025" (Safer Internet Day) के अवसर पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों व समभ्रांत लोगो को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन प्राइवेसी और डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा देते हुए इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक किया गया । महोदय द्वारा बताया गया कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को मानाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 का थीम **''एक साथ बेहत्तर इंटरनेट''** है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस का मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा, आनलाइन प्राइवेसी और डिजिटल जागरूकता को बढावा देना है। इंटरनेट का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि एक सुरक्षित और सकारात्मक डिजिटल माहौल बनाने के लिए किया जाना चाहिए। जिससे यह सुरक्षित और आनन्ददायक बन सके। इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। साथ ही साइबर अपराध की जानकारी देते हुए बताया गया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है । सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(X), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली-भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। कोई कम्पनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच देती है तो सावधान रहिये ऐसी कंपनी फर्जी होती हैं जो आपका पैसा लेकर कंपनी को बंद कर भाग जाते हैं। ठगों द्वारा फर्जी ऑफिस खोलकर, कम ब्याज दर पर अधिक लोन, बिना किसी कागज के आसानी से लोन दिलवाने हेतु फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के रुप में एकाउंट में रुपये जमा कराके फरार हो जाते है। मोबाइल व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के सुरक्षित प्रयोग के बारे में भी बताया गया। छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट प्रयोग किये जाने पर साइबर अपराध के शिकार होने से बचा जा सकता है। जागरूक बनें और अपने धन की स्वयं सुरक्षा करने के सिद्वान्त पर काम करें।

सुरक्षित इंटरनेट प्रयोग करने के कुक्ष महत्वपूर्ण टिप्स

1. मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें।
2. पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करके अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखें।
3. दो-कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करके अपने खातों की सुरक्षा बढ़ाएं।
4. अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र और अन्य सॉफ़्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट रखें।
5. अपने कंप्यूटर पर वायरस स्कैनर का उपयोग करके वायरस और मैलवेयर का पता लगाएं।
6. केवल सुरक्षित वेबसाइटों (HTTPS) पर व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
7. अज्ञात लिंक और ईमेल से बचें, जो आपको व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहते हैं।
8. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले सावधानी बरतें।
9. ऑनलाइन लेनदेन करते समय सुरक्षित वेबसाइटों और भुगतान विधियों का उपयोग करें।
10. ऑनलाइन गोपनीयता के बारे में जागरूक रहें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं।

11. पैरेंटल कंट्रोल का उपयोग करके बच्चों के ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करें।
12. बच्चों को केवल सुरक्षित वेबसाइटों पर जाने की अनुमति दें।
13. बच्चों को ऑनलाइन दोस्ती बनाने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दें।
14. बच्चों को साइबर बुलिंग के बारे में जागरूक करें और उन्हें इसके बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें।
15. बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के बारे में जागरूक करें और उन्हें इसके लाभों के बारे में बताएं। 09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
16. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
17. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 11.02.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा 05 अंतर्जनपदीय शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 07 अदद बैट्री, 02 अदद ई- रिक्शा व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-29/2025 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अन्तर्जनपदीय शातिर चोरों-01. फय्याज उर्फ राजू, 02. बदलू राम वर्मा उर्फ बदलू, 03. राजू यादव, 04. शान अली, 05. आजाद खाँ को खरगूपुर से इकौना जाने वाले मार्ग पर लक्ष्मनपुर रोड़ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 07 अदद बैट्री, 02 अदद ई-रिक्शा व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल(TVS) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी समशेर अली पुत्र सलीम निवासी रामलालापुरवा मौजा खरगूपुर इमिलिया थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर को सूचना दिया कि दिनांक 04.02.2025 की रात्रि में रामलालपुरवा स्थित दुकान के पास खडी ई रिक्शा से अज्ञात चोरो द्वारा 04 अदद बैट्री चोरी कर लिया गया है। लिखित तहरीर पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 11.02.2025 को थाना खरगूपुर पुलिस इलेक्ट्रानिक व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अन्तर्जनपदीय शातिर चोरों-01. फय्याज उर्फ राजू, 02. बदलू राम वर्मा उर्फ बदलू, 03. राजू यादव, 04. शान अली, 05. आजाद खाँ को खरगूपुर से इकौना जाने वाले मार्ग पर लक्ष्मनपुर रोड़ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 07 अदद बैट्री, 02 अदद ई-रिक्सा व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. फय्याज उर्फ राजू पुत्र रोज अली निवासी चुड़ीघर कला भटपुरवा थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती।
02. बदलूराम वर्मा उर्फ बदलू पुत्र रामखेलावन निवासी लालनगर, थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. राजू यादव पुत्र छेदी यादव निवासी किन्नूबरा यादवपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
04. शान अली पुत्र मासूक अली निवासी लख्खासराय गुवारें, थाना विश्वेश्वरगंज जनपद बहराइच।
05. आजाद खाँ पुत्र साधू निवासी कटराबाजार नवीन माँडन पुलिस थाना, नपद श्रावस्ती।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-29/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0स0- 30/2025 धारा 3(30), 317(2), 317(4) बीएनएस, थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 07 अदद ई रिक्शा बैट्री

02. 02 अदद ई रिक्शा

03. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल(TVS)

04. 01 अदद मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास बदलूराम वर्मा उर्फ बदलू पुत्र रामखेलावन

1. मु0अ0सं0-332/15 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।
2. मु0अ0सं0-331/15 धारा 382/411 भादवि थाना थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।
3. मु0अ0सं0-188/21 धारा 41, 411, 413, 414 थाना हजूरपुर जनपद बहराइच।
4. मु0अ0सं0- 47/21 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना हजूरपुर जनपद बहराइच।
5. मु0अ0सं0-190/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना हजूरपुर जनपद बहराइच।
6. मु0अ0सं0-149/2021 धारा 395, 411 भादवि थाना हजूरपुर जनपद बहराइच।
7. मु0अ0सं0-413/15 धारा 379 भादवि थाना को0देहात जनपद बलरामपुर।

आपराधिक इतिहास राजू यादव पुत्र छेदी यादव

1. मु0अ0सं0- 47/21 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना हजूरपुर जनपद बहराइच।
2. मु0अ0सं0-48/2022 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना हजूरपुर जनपद बहराइच।
3. मु0अ0सं0-149/2021 धारा 395, 411 भादवि थाना हजूरपुर जनपद बहराइच।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पंकज कुमार

02. हे0का0 आदित्यनाथ यादव

03. हे0का0 मुनव्वर

04. का0 सुजीत विश्वकर्मा

05. का0 अमन सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।